

नवादा जिला के ग्रामीण अधिवासों का उद्भव, विकास एवं प्रकार— एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ० कल्पना सिन्हा
एम०ए०, पीएच०डी०
भूगोल विभाग,
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया

सारांश

ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन भूगोल में प्रारम्भ से किसी न किसी रूप में होता रहा है। ग्रामीण बस्ती भूगोल मानव भूगोल की नवीनतम शाखा है। ग्रामीण बस्ती का प्रादुर्भाव आदिम मानव द्वारा ही हो गया था और मानव का गुफाओं से बाहर आने पर सबसे पहला कदम गाँवों की स्थापना करने वाला कदम था। तब से लेकर आज तक गाँव बराबर बसते चले आ रहे हैं।

भूगोलवेत्ता ग्रामीण बस्तियों को ग्रामीण भूदृश्य पर स्थित मानव-निर्मित अधिवास मानता है। यह ग्रामीण भूदृश्य प्राथमिक व्यवसायों जैसे— कृषि, वन, खनन, मत्स्य, आखेट आदि से सुसज्जित होता है। यह सभी व्यवसाय स्थानीय संसाधनों पर आधारित होते हैं। ग्राम का किसी एक स्थान पर विकसित होना प्राकृतिक तत्वों की अनुमूलता पर निर्भर करता है। यह तत्व मानव को आश्रय (shelter) प्रदान करते हैं। इसकी अपनी एक सीमा होती है, अर्थात् यह निश्चित भूखण्ड रखता है। इसका संबंध दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित बस्तियों से भी होता है। यह उनसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से जुड़ी रहती है। इस प्रकार कोई भी ग्रामीण बस्ती अपने आप में एक भौगोलिक इकाई है तथा अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य बस्तियों पर निर्भर करती है। यह ग्रामीण बस्ती कुछ ऐसे कार्य-कलापों का संग्रह रखती है, जो केवल यहाँ पर ही विकसित पाये जाते हैं। वास्तव में प्राथमिक कार्य करने वाली बस्तियाँ ग्रामीण बस्तियाँ कहलाती हैं।

शब्द कुँजी :- आश्रय, क्रमवद्ध, प्रादुर्भाव आखेट, सुसज्जित।

परिचय : नवादा एक अपेक्षाकृत नया जिला है जो इसी नाम के पुराने गया जिला (वर्तमान में मगध प्रमण्डल) के अनुमण्डल के क्षेत्र से बना है। यह एक स्वतंत्र जिला के अस्तित्व में 20 जनवरी, 1973 को आया। इस जिला का विस्तार 2,474 वर्ग किलोमीटर (962.6 वर्ग मील) क्षेत्र पर है जिसका विस्तार 24°31'45" उत्तर से 25°6'5" उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा 85°3'20" पूर्व से 86°17'20" पूर्वी देशान्तरों के बीच है। 2001 में इसकी कुल जनसंख्या 18,09,896 व्यक्ति थी जिसमें 16,71,259 या 92.35 प्रतिशत नगरी थी। 2011 में नवादा जिला की कुल आबादी बढ़कर 22,16,653 व्यक्ति हो गयी है। नवादा जिला को दो असमान भूतलीय (Physiographic) विभागों में बाँटा जा सकता है। लगभग 25 प्रतिशत भाग पर छोटानागपुर का बढ़ा हुआ भाग (outliers)

है, जबकि तीन चौथाई भाग समुद्र तल से 500 फीट (या 152.40 मीटर) से नीचा है। धरातल का प्रभाव ग्रामीण अधिवास पर स्पष्टतः दिखता है।

स्थायी रूप से अधिकृत कोई भी मानव निवास स्थान अधिवास होता है। यद्यपि एकांकी निवास को भी अधिवास माना जा सकता है किन्तु यह शब्द प्रायः एक पुरवा से लेकर बृहत नगर के निवास गृहों तथा सम्बद्ध भवनों के समूह को व्यक्त करता है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पाये जानेवाले अधिवासों अथवा बस्तियों की अवस्थिति, उनके आकार, विन्यास, स्थायित्व आदि पर अनेक प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। अधिवासों का सर्वाधिक प्रचलित तथा चिर सम्मत वर्गीकरण उनके बसाव प्रतिरूप, गृहों के समुहन तथा सघनता आदि के आधार पर किया जाता है। इन आधारों पर ग्रामीण अधिवास अथवा बस्तियों को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जाता है। प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास तथा एकत्रित या सघन अधिवास।

रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार "भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी को मानव का घर मानते हुए उस पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पायी जाने वाली विभिन्नताओं की विशेषताओं की व्याख्या करता है। मानव द्वारा निर्मित घरों का संगठित स्वरूप व समूह 'अधिवास' कहलाता है। अधिवास मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों में एक अत्यंत उत्कृष्ट एवं ठोस रचना है। वास्तव में पृथ्वी के तल पर जहाँ भी कुछ गृह एक स्थान पर बना लिये जाते हैं, उसे अधिवास कहा जा सकता है। गृह की अधिवास के सर्वप्रमुख घटक हैं। गृहों का परस्पर संयुक्त करने तथा एक अधिवास को अन्य अधिवासों अथवा क्षेत्रों से जोड़ने के लिए गली, लेन, स्ट्रीट, सड़क बनाये जाते हैं। अतः मार्ग अधिवास का दूसरा प्रमुख घटक है। बाग-बगीचे, खेत-खलिहान, पार्क स्थल, खेल के मैदान आदि भी अधिवास से सम्बद्ध होते हैं जिन्हें अधिवास की अन्य घटकों की रेणी में रख सकते हैं। यद्यपि मेसोलिथिक युग में अर्थात् वर्तमान काल से 12-15 हजार वर्ष पूर्व होमोसेपिय मानव का अर्धुदय हे चुका था परन्तु नियोलिथिक युग के ताम्र काल व लौह काल में यह मानव समूह स्थायी गृह बनाकर नदी घाटियों में बसने लगा और खेती पशुपालन के साथ वस्तु निर्माण का काम शुरू किया। प्रख्यात फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रूश ने उपरोक्त तथ्यों को अदृष्ट करके हुए मानव भूगोल के तथ्यों को तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जिसमें प्रथम वर्ग के दो आवश्यक तथ्य यथा गृह और मार्ग को माना है। उसके अनुसार मानव अधिवास मानवीय रचनाओं एवं क्रियाओं में सर्वाधिक स्पष्ट और दूर से ही दिखाई पड़ने वाली सर्वाधिक तथा ठोस रचना है। गृहों और मार्गों के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का कृषि या पशुचारण जैसा आर्थिक उपयोग नहीं होता है सम्भवतः इसी कारण से ब्रूश ने इनके द्वारा प्रयुक्त भूमि को मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग कहा है।

विभिन्न अधिवासों में गृहों का निर्माण अनेक उद्देश्यों जैसे निवास हेतु, कार्य करने हेतु, उपकरण, उत्पादित सामग्रियों के संग्रहण हेतु तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः किसी अधिवास में निवास गृह, कार्यशाला, संग्रहालय, कार्यालय, विद्यालय, न्यायालय बाजार आदि अन्यान्य प्रयोजन वाले गृह सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार इनमें निर्धन ग्रामीण लोगों की मिट्टी से निर्मित लघु गृहों व घास-फूस की झोपड़ियों से लेकर नगरीय धनिकों के गगनचुम्बी भव्य भवनों तक सभी

प्रकार के गृह पाये जा सकते हैं। इस प्रकार भूगोल में अधिवास अथवा बस्ती शब्द का प्रयोग सामान्यतः व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग उन समस्त गृह समूहों के लिए किया जाता है जो चाहे किसी भी स्थान पर स्थित हों, किसी भी पदार्थ से निर्मित हों, अलग-अलग उद्देश्यों से स्थापित हों, भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के हों और किसी भी प्रकार को कार्यों को सम्पादित करते हों। “ अधिवास मानव समुदाय के दमारतों का वह समूह है जिनमें इन सरचनाओं का प्रयोग रहने, काम करने वाले कार्यालय, उद्योग, व्यापार तथा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। बस्ती में पाये जाने वाली पगडंडियों का प्रयोग एक भाग से दूसरे भाग तक आने-जाने के लिए किया जाता है। ये सभी अधिवास भूमि के एक निश्चित भाग को अधिगृहित करते हैं।”

ग्रामीण अधिवासों के उद्भव एवं विकास प्रभावित करने वाले कारक :-

विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पाये जानेवाले अधिवासों अथवा वस्तियों की अवस्थिति, उनके आकार, विन्यास, स्थायित्व आदि पर अनेक प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। अधिवासों का उद्भव तथा विकास के लिए उत्तरदायी समस्त भौगोलिक कारकों को मुख्य रूप से दो वर्गों यथा प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक के अन्तर्गत रखा जाता है।

प्राकृतिक कारक (Natural factors)

1. स्थलाकृति (Landforms): किसी प्रदेश में बस्ती के निर्माण के लिए सबसे पहली आवश्यकता उपयुक्त भूमि की होती है। इसलिए किसी प्रदेश में अधिवास की संस्थिति (Site) के चुनाव में स्थलाकृति की प्रमुख भूमिका होती है। सामान्यतया ऐसी संस्थिति उपयुक्त मानी जाती है जहाँ भूमि समतल एवं चौरस हो, जल-निकास की पर्याप्त व्यवस्था हो और पेय जल उपलब्ध हो। अपने चौरस और समतल धरातल के कारण मैदानी भागों में अधिवासों का अधिक विकास हुआ है। इसके लिए ऐसी भूमि उपयुक्त मानी जाती है जो सामान्य धरातल से ऊँची हो और जहाँ जल जमाव की सम्भावना नहीं हो। बस्तियों के विकास के लिए मैदानों की अपेक्षाकृत उच्च समतल भूमि सर्वोत्तम होती है। समतल भूमि पर उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता, परिवहन हेतु सड़कें, रेलमार्ग आदि के निर्माण में सुगमता, सिंचाई के लिए नहर निर्माण में सुविधा, कृषि कार्यों में सुगमता तथा उत्पादन में वृद्धि कारणों से अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या के भरण-पोषण की क्षमता विद्यमान होती है। यही कारण है कि वृहद आकार के अधिवास समतल मैदानी भागों में ही पाये जाते हैं। जल निकास की सुविधा के साथ ही मिट्टी अथवा ढालों की कठोरता पर ध्यान देना अपेक्षित है। जिस भूमि पर बस्ती बसाना हो उसकी धरातलीय शैलें कम से कम इतनी कठोर अवश्य होनी चाहिए कि भूमि का अत्यल्प कटाव ही हो सके। पहाड़ी अथवा अधिक ढालू भूमि पर भी भूक्षरण की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं। अतः अधिवासों के लिए उपयुक्त स्थल समतल मैदान ही होते हैं।

2. जलवायु (Climate): प्रसिद्ध अमरीकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने मानव के प्रभावित करने वाले समस्त प्राकृतिक कारकों में जलवायु को ही सर्वप्रमुख बताया है। रसेल स्मिथ ने भी यह व्यक्त किया है कि मानव सभ्यता मध्यम जलवायविक विविधताओं का परिणाम है। जिस प्रदेश की

जलवायु मानव निवास के लिए उपयुक्त होती है वहाँ अन्य सुविधाओं के उपस्थित होने पर बस्तियों की संख्या और आकार में वृद्धि होती है। अति शुष्क, अति आर्द्र, अति शीत एवं अति उष्ण प्रदेश मानव के लिए हितकर नहीं होते हैं। अतः ऐसे प्रदेशों में अधिवासों का विकास सीमित होता है। सम्भवतः इसी कारण वर्तमान काल में विकसित देश समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में विशेषतः स्थित है। यहाँ नगरीकरण अधिक हुआ है और ग्रामीण अधिवास बहुत ही कम मिलते हैं। इसके विपरीत उष्ण कटिबन्धीय विकासशील देशों में अधिकांश अधिवास ग्रामीण है और नगरीकरण कम हुआ है।

3. जलापूर्ति :- मानव जीवन के लिए वायु के पश्चात् जल ही सर्वाधिक समत्वपूर्ण तत्व है। जल के अभाव में मानव और मानव वस्तियों की कल्पना निरर्थक है। मानव जीवन में जल की आवश्यकता व उपयोगिता विविध रूपों में पायी जाती है। पीने तथा घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त पालतू पशुओं के लिए, सिंचाई, सफाई, उद्योगों आदि के लिए पर्याप्त जलापूर्ति अनिवार्य होती है। अतः जिन स्थानों पर उपयुक्त भूमि के साथ ही जल प्राप्ति के साधन भी उपलब्ध रहते हैं, वहाँ अधिवास की उत्पत्ति होती है। किन्तु अन्य साधनों के उपलब्ध होने पर भी जल की उपलब्धता नहीं रहने पर ऐसे भू-भाग मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। मरुस्थलों में जल के अभाव में मानव निवास अत्यन्त सीमित होते हैं। केवल मरुद्यानों में जहाँ जल श्रोत उपलब्ध होते हैं, जलाशय के समीप संख्या में गृह दिखायी पड़ते हैं।

4. जीव-जन्तु : जीव-जन्तु भी अधिवासों के स्वरूप निर्धारित करते हैं। वन प्रदेशों पहाड़ियों, नदियों की कन्दराओं के निकट जहाँ हिंसक पशुओं से सुरक्षा की समस्या खड़ी होती है, वहाँ लोग सामूहिक रूप से रहना चाहते हैं जिससे वे हिंसक पशुओं से मुकाबला कर सकें और अपनी सुरक्षा कर सकें। अतः ऐसे प्रदेशों में सघन तथा बड़े आकार के अधिवास विकसित नहीं होते हैं।

मानवीय कारक :-

1. जनसंख्या वृद्धि (Growth of population): नौसर्गिक एवं प्रव्रजन दोनों ही विधियों से होने वाली जनसंख्या वृद्धि का अधिवासों के उद्भव और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिवासों का निर्माण ही मनुष्य की एक प्राथमिक आवश्यकता 'आश्रय' से कम्बद्ध है। इतिहास में इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि जब कभी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है, बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र या उसके समीपवर्ती भागों में उपनिवेशन तथा अधिवासन की शुरुआत होती है।

2. आर्थिक कारक (Economic factor): भूतल के किसी भी स्थान पर जनसंख्या के बसाव की सर्वाधिक आवश्यकता होती है- जीविका के साधनों की उपलब्धि। जहाँ जीविका के साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ बस्तियों के रूप में जनसंख्या का जमाव होने लगता है। मानव सभ्यता के इतिहास में जब मनुष्यों ने खेती करना आरम्भ किया तब स्थायी बस्तियों को प्रोत्साहन मिला। कृषि कार्य में आपसी सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है, अतः कृषक समुदाय में रहना चाहते

हैं। इसी कारण उत्तरी भारत को उपजाऊ मैदानी भागों में बड़े-बड़े गावों के रूप में सघन अधिवासों का विकास हुआ है।

3. सामाजिक कारक (Social factor): अधिवासों की अवस्थिति, विस्तार एवं स्वरूप का निर्धारण बहुत कुछ सामाजिक संगठनों, परम्पराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं आदि पर भी आधारित होता है। उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि कार्य मुख्यतः परस्पर सहयोग एवं सहकारिता की भावना पर आधारित होता है और एक ग्राम में कृषकों के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों वाली जातियाँ भी निवास करती हैं जो कृषकों को सहयोग प्रदान करती हैं और बदले में कृषकों से अन्न आदि उपज प्राप्त करती हैं। विभिन्न व्यवसायों वाली जातियों की सहकारिता से ग्राम की आत्मनिर्भरता बढ़ती है और वह उन्नतिशील बनता है जिसका परिणाम होता है ग्रामों का आकारीय विस्तार। उत्तरी भारत में यह तथ्य विल्कुल स्पष्ट है कि अधिकांश पूंजित ग्रामों में दलित बस्तियाँ मुख्य ग्राम से अलग और प्रायः दक्षिण दिशा में बसाई गयी है। इन जातियों के कुछ जातिगत कार्यों से तीव्र व असहनीय गंध होती है। चूँकि दक्षिण दिशा से पवन कम चलती है, अतः दक्षिण के मुख्य बस्ती की ओर दुर्गन्ध तथा प्रदूषित पवन आने की सम्भावनायें न्यूनतम होती है।

4. सांस्कृतिक कारक (Cultural factor): अधिवासों का विकास सांस्कृतिक तथ्यों से भी प्रभावित होता है। धार्मिक विश्वासों, रीति-रिवाजों आदि का प्रभाव अधिवास के विकास के साथ उसकी आन्तरिक संरचना तथा आकारिकी पर भी पड़ता है। प्रायः सभी ग्रामों में एक ग्राम देवता का स्थान होता है। धार्मिक सम्प्रदायों के पूजा स्थल भी ग्रामीण अधिवासों में बनाये जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर प्रायः पुजारियों, पंडो आदि के आवास गृह होते हैं। विशिष्ट धर्मावलम्बियों के गृहों की वास्तुकला तथा आकारिकी भी पृथक होते हैं। गृहों के आकार, उनी वास्तुकला और मुख्य द्वार की दिशा के अतिरिक्त अधिवास के लिए चुनाव में भी धार्मिक विश्वास का विशिष्ट स्थान होता है। सामान्यतः बस्ती के बाहर से ही गृहों की बनावट आदि को देखकर यह आभास हो जाता है कि अमुक बस्ती किस धार्मिक-सामाजिक सम्प्रदाय की होगी।

5. राजनीतिक कारक (Political factor): अधिवासों के उद्भव एवं विकास पर राजनीतिक कारक के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक निर्णय व नीति के अनुसार ही अनेक बस्तियों के स्थल के लिए चुनाव किया जाता है। जहाँ उन्हें बसाया जाता है। अधिवासों के विकास पर शासन व्यवस्था का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रदेश में शासन व्यवस्था उत्तम होती है तथा चोरो, लुटेरों, आक्रमकों आदि का भय नहीं होता है और वहाँ प्रकीर्ण अर्थात् बिखरी हुयी बस्तियाँ भी पनपती हैं। इसके विपरीत जहाँ सुरक्षा की समस्या बनी रहती है वहाँ प्रायः बड़े व सघन ग्रामों का उद्भव एवं विकास होता है जिनमें गलियाँ संकरी तथा मकान एक दूसरे के पास-पास बनाये जाते हैं जिससे आक्रमकों का मुकाबला सामूहिक रूप से किया जा सके। भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुगल शासन के कमजोर होने पर अराजकता का बोलबाला रहा और लुटेरों के भय से उत्तरी भारत में जनसंख्या बड़ी-बड़ी बस्तियों के रूप में संकेन्द्रित होने लगी थी। ग्राम के मध्य में जमींदार और धनिक किसानों एवं साहुकारों के मकान होते थे और

उनके चारों ओर साधारण कृषकों व शिल्पियों के गृह बनाने जाते थे। सबसे बाहर कृषि मजदूरों व अन्य श्रमिकों के गृह हुआ करते थे। बाद में ब्रिटिश शासनकाल के स्थायित्व काल में चौड़ी गलियाँ वाले छोटे ग्रामों में भी रहने के लिए लोग प्रेरित हुए। नवादा जिला में उपरोक्त वर्णित अधिवासों के उद्भव व विकास को निर्धारित, प्रोत्साहित अथवा सीमित करने वाले प्राकृतिक कारक यथा स्थलाकृति, जलवायु, जीव-जन्तु तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कारक जो वस्तुतः मानवीय कारकों के अंश अथवा प्रकार हैं, का भी उसी रूप, प्रकार व गहनता से प्रभाव पड़ा है।

ग्रामीण अधिवासों के प्रकार (Types of Rural Settlement): किसी सुनिश्चित भूखंड, जिसे मौजा कहते हैं, के अन्तर्गत ग्रामीण आवासों के विशिष्ट समूहन को प्रकार (Type) कहते हैं। (The term type is the characteristic grouping of rural dwellings in that well defined parcel of the ground which is known as Mauza") लेकिन इस परिभाषा का केवल स्थानीय महत्व है। प्रादेशिक स्तर पर प्रकार शब्द किसी क्षेत्र में अधिवासों के बीच संबंधों का परिचायक है। (Type denotes the relationship between settlement within space) अधिवासों का सर्वाधिक प्रचलित तथा चिर सम्मत वर्गीकरण उनके बसाव प्रतिरूप, गृहों के समूहन तथा सघनता आदि के आधार पर किया जाता है। इन आधारों पर ग्रामीण अधिवासों अथवा बस्तियों को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जाता है:—

1. प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास (Dispersed or isolated settlement): प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लाश के अनुसार प्रकीर्ण अधिवासों की प्रवृत्ति उपकेन्द्रों (Centrifugal) होती है। इस प्रक्रिया में गृहों के सकेन्द्रण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण होता है और बड़े-बड़े ग्रामों के स्थान पर अलग-अलग गृहों वाले छोटे-छोटे अधिवासों का अभ्युदय होता है। यह ग्रामीण अधिवास का लघुत्तम रूप है जिसमें गृहों की संख्या अत्यल्प होती है कहीं-कहीं एकांकी गृह ही अधिवास के रूप में पाये जाते हैं। ये किसी प्रदेश में एक दूसरे से दूर-दूर बिखरे हुए या लघु गृह समूह के रूप में अलग-अलग अधिवासों का निर्माण करते हैं। प्रकीर्ण अधिवास की प्रमुख विशेषता उसका लघु आकार और एकांकीपन है क्योंकि इन अधिवासों में रहने वाले लोग अन्य अधिवासों में रहने वाले लोगों से कम सम्पर्क में रहते हैं, क्योंकि उनकी दूरी पारस्परिक सम्पर्क में बाधक होती है। प्रकीर्ण ग्रामीण अधिवासों के उद्भव व विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी होते हैं। वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों का एकांकी निवास्य साधनहीनताजन्य मजबूरी के कारण है। किन्तु दूसरे प्रकार का ऐसा निवास्य अधिकाधिक आर्थिक लाभ तथा बहुत कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वातंत्र्य, साहस, परम्परागत सामाजिक बन्धनों से मुक्त होकर जीवन यापन की लालसा और बहुत कुछ स्वावलम्बन का प्रतिफल है।

("where there is nothing to require the varied services which life in village community implies, habitations scatter") भूतल के जिस भाग में प्राकृतिक दशाएँ यथा धरातल की बनावट, जलवायु, जलाशय, वन आदि जहाँ मानव अधिवास के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं वहाँ प्रकीर्ण अधिवास ही पाये जाते हैं। ब्लाश ने लिखा है कि अधिवास की प्रकीर्ण उन

क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जो उच्चावच मिट्टी और अपवाह के विखण्डन के परिणाम हों स्वयं कृषि योग्य भूमि योग्य भूमि भी अपखंडित हो। स्थलाकृति जितनी ऊँची-नीची होगी वहाँ प्रकीर्ण अधिवासों का अनुपात उतना ही अधिक होगा। प्रकीर्ण अधिवास को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में जल जमाव दलदल, वन, कंकड़ीली- पथरीली भूमि का महत्व भी कम नहीं है। इसी प्रकार रेतीली, क्षरीय तथा अम्लयुक्त मिट्टियों वाली भूमि में भी यत्र-तत्र बिखरे अधिवास ही देखे जा सकते हैं।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कुछ भागों में किसानों के छोटे-छोटे खेत चकबन्दी के परिणामस्वरूप एकत्रित हो गये। अब बहुत से कृषक अपने चकों पर अर्थात् अपनी कृषि भूमि पर सिंचाई की निजी व्यवस्था करने लगे हैं और वहीं पर मकान बनाकर रहने भी लगे हैं। इस प्रकार प्रकीर्ण अधिवास को प्रोत्साहन मिला है। इनके अतिरिक्त भारत की कुछ परिश्रमी खेतिहर जातियाँ सामूहिक ग्रामों की तुलना में अपने खेतों पर रहना अधिक पसन्द करती हैं। वे अपने अधिकांश समय का उपयोग कृषि कार्यों में करते हैं। वे फसलों की सुरक्षा और देखभाल भी भली प्रकार से कर लेते हैं जिससे उन्हें सीमित भूमि से भी गहन कृषि द्वारा अधि उत्पादन प्राप्त होता है। 2. एकत्रित या सघन अधिवास (Agglomerated or compact Settlement): सघन अधिवास में कई परिवारों के आवास एक इकाई भूमि पर गुम्फित रूप में पाये जाते हैं जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, व्यवसायों एवं संगठनों पर लोग एक साथ रहकर सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें एक मौजा के सभी आवास एक स्थल पर संकेन्द्रित होते हैं ("The chief feature of this type of settlement is the concentration of almost all the dwellings of a mauza in one central site")..... Enayat Ahma

एकत्रित अधिवास सामान्यतः कृषि क्षेत्र की विशेषता है जहाँ ग्रामवासी सामूहिक जीवन जीते हैं जिनका अस्तित्व मूलतः सहकारिता व पारस्परिक सहयोग पर आधारित होता है। विभिन्न कृषि कार्यों एवं सामाजिक क्रिया-कलापों में वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस प्रकार स्थायी कृषि व्यवस्था का परिचायक एकत्रित या सघन आवास है। गृहों की सघनता एवं समूहन की प्रकृति के आधार पर एकत्रित आवासों को सघन या पंजित ग्राम तथा संयुक्त ग्राम की श्रेणियों में रखा जा सकता है। सघन या पंजित ग्राम एकल केन्द्रीय ओर सघन बसा हुआ ग्रामीण अधिवास होता है जिसमें गृह एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। गृहों के बीच में स्थायी भूमि नहीं छोड़ी जाती है। दूसरी ओर जब एक ही ग्राम की राजस्व सीमा के भीतर ही एक से अधिक छोटे-छोटे पुरवे (Hamlets) पाये जाते हैं जो ग्राम के मुख्य अधिवास के अंग माने जाते हैं तब ऐसे ग्राम को संयुक्त ग्राम कहा जाता है।

समतल एवं विस्तृत कृषि योग्य भूमि, उर्वर मिट्टी, जल का स्थायी श्रोत तथा उपयुक्त जलवायु ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो सघन अधिवासों के विकास के लिए उपयुक्त आधार प्रस्तुत करते हैं। नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ वाले समतल मैदानी भागों तथा सागर तटीय मैदानों में प्रायः सघन ग्रामीण अधिवास पाये जाते हैं। समतल मैदानों में बस्तियों के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होती है जिसके चारों ओर उपजाऊ कृषि भूमि विद्यमान रहती है। नदियों के प्राकृतिक तटबन्ध अथवा परित्यक्त नदी की उच्च भूमि का सामान्यतः ग्राम के बसाव के लिए

चुना जाता है क्योंकि ये स्थान प्रायः जल जमाव और बाढ़ से मुक्त होते हैं। समतल भूमि और स्थायी जल श्रोत के अतिरिक्त जनसंख्या के समूहन को तो तथ्य सर्वाधिक प्रभावित करता है, वह है मिट्टी की उर्वरता। उर्वर मिट्टी कृषि का मूलाधार है। उपजाऊ मिट्टी कृषि का मूलाधार है। उपजाऊ मिट्टी में अधिक जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए कृषि उत्पादन प्रदान करने की पर्याप्त क्षमता विद्यमान होती है। मिट्टी की इसी गुण के कारण ही इन भागों में सघन अधिवास मिलता है। इसी प्रकार एक स्थान पर अधिक जनसंख्या के संकेन्द्रीकरण के लिए अर्थात् सघन अधिवासों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, सुरक्षा, सहकारिता की भावना तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। खेतों की जुताई, फसलों की बुआई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई फसलों की कटाई आदि विविध कृषि कार्य ग्रामवासी परस्पर सहयोग लेकर अथवा देकर करते हैं जिसके लिए उनका समूह में रहना जरूरी है। ग्रामों में जाति ओर कुल की संबद्धता बहुत अधिक देखने को मिलती है। अधिकांश ग्रामीण अपने कुल देवी-देवताओं का परित्याग का गमन करना नहीं चाहते हैं। इससे एक ही स्थान पर कई पीढ़ियाँ जीवन गुजार लेती हैं। यह सामाजिक-सांस्कृतिक भावना सघन अधिवास व्यवस्था को प्रश्रय देती है।

संदर्भ :-

1. भारत की जनगणना, श्रृंखला-11, जनसंख्या के अन्तिम आँकड़े, बिहार पृ0 162
2. भारत की जनगणना, 2001
3. सिंह, के0के0, 1996, अखनाइजेशन एण्ड सोशल चेंजेज इन नवादा डिस्ट्रिक्ट, एक अप्रकाशित शोध प्रबंध, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, पृ0 38
4. हार्टशोर्न, रिचर्ड, 1959, परस्पेक्टिव ऑन ऑफ जयाग्राफी, पृ0 131
5. तिवारी, आर0सी0, 2009, अधिवस भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद पृ0 17
6. अहमद, एनायत, 1965, बिहार: ए फिजिकल, इकोनोमिक एण्ड रिजनल ज्याग्राफी, रॉची यूनिवर्सिटी, रॉची, पृ0 270
7. डोकसीएडिस, सी0ए0, 1968, ऐन एंट्रोडक्सन टू दी साइंस ऑफ सेटेलमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यायार्क, पृ0 33
8. ब्लॉक, पी वीडल डी ला, 1926, प्रिन्सपुल्स ऑफ हयुमन ज्याग्राफी, एम0टी0 विंघहम कान्सटेबल, लंदन, पृ0 301
9. सिन्हा, कल्पना, 2010, नवादा जिले में ग्रामीण अधिवासों का उद्भव , आकारिकी एवं स्थैतिकी नियोजन: एक भौगोलिक अध्ययन, एक अप्रकाशित शोध प्रबंध, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, पृ0 सं0 36-49